

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)

2/11/17

पकावली काज पेश हुई। कोई उप नहीं।  
कई बार-बार-बार आवाजे दिलवायी  
जई कोई उपस्थित नई आया। कवलकेग  
किया गया। यह प्रकृष वर्ष 2013 से  
विचाराधीन है। जत कई पेशियों पर वकीले  
कपीलान्त को मृगत रेस्पों के काम मुकामात  
की कार्यवाही हेतु ताकीद की जाती रही है किंतु  
वकील कपीलान्त द्वारा इस समय में आदेशिका  
दिनांक 5-11-15 से निरंतर विदायत दिये जाने के  
उपरांत भी तलवी हेतु उनकी ओर से की  
जाने वाली मुनासिब कार्यवाही न किया जाना एवं  
काज भी दोरागे पुनर्वाही उपस्थित न रहना  
उनकी केस के आगे न चलाए जाने की  
मेशा को इकारना है। ऐसी तिकरि में यह प्रकृष  
अदत हाजरी, अदत पेशी एवं अदत वकील  
से रकारिज किया जाता है। पकावली केसल  
मुकाम हेतु काज इति डालिल इतर  
की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)